न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 95 / 2019

राजूराम पुत्र सुल्तानराम जाति जाट निवासी मन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू– राजस्व अधिनियम

उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण :–

1 श्री राजेन्द्र डाल अधिवक्ता (प्रार्थी)

2 राजपैरोकार वास्ते स्टेट

निर्णय **दिनांक :** 06/11/19

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 42 पी टी पी जमाबदी सम्वत 2070–2073 खाता संख्या 37 / 39 में राजूराम पुत्र सुल्तानराम के नाम से 3.542 है. आराजी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड पटवार माल है। प्रार्थी का वास्तव में नाम राजूराम पुत्र सुल्तानराम है परन्तु चक नं. 42 पी टी पी की जमाबदी सम्वत 2070–2073 खाता संख्या 59 / 56 में सहवन से राजेन्द्र कुमार पुत्र सुल्तानराम दर्ज हो गया है प्रार्थी दुरूस्त करवाकर सही करवाना चाहता है। जिसे दुरूस्त करवाना न्यायोचित है। प्रार्थी के राशन कार्ड पहचान पत्र आधार कार्ड मुल निवास प्रमाण पत्र भामाशाह कार्ड जाति प्रमाण पत्र मे राजूराम पुत्र सुल्तानराम दर्ज है जबकि चक नं. 42 पी टी पी की जमाबदी सम्वत 2070–2073 खाता संख्या 59 / 56 में राजेन्द्र कुमार पुत्र सुल्तानराम दर्ज हो गया है जो लिपिकीय भूल है। जिसे दुरूस्त करवाना आवश्यक है। वगैरा–वगैरा।

अतः प्रार्थना पत्र बाबत नाम दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट मय हल्फनामा पेश कर निवेदन है कि चक 42 पी टी पी की जमाबदी सम्वत 2070–2073 खाता संख्या 59 / 56 में प्रार्थी का नाम राजेन्द्र कुमर पुत्र सुल्तानराम के स्थान पर राजूराम पुत्र सुल्तानराम दुरूस्त किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से जवाब स्टेट पेश हुआ। एव प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के समर्थन प्रार्थी के भाई हसंराज की ओर से बतौर साक्षी शपथ पत्र पेश हुआ।

बहस सुनी गयी , दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के नाम दर्ज आराजी विरासतन दर्ज हुयी है एव जमाबंदी में दर्ज त्रुटि विरासतन ईन्तकाल दर्ज करते समय हुयी है जिसके सम्बध में प्रार्थी के भाई ने अपना शपथ पत्र

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

पेश किया है इस प्रकार प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में लिपिकीय भूल से दर्ज हुआ है जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि:– चक 42 पी टी पी जमाबदी सम्वत 2070–2073 खाता संख्या 59/56 में प्रार्थी का नाम दुरूस्त किया जाकर "राजेन्द्र कुमार पुत्र सुल्तानराम जाति जाट निवासी मन्नीवाली " के स्थान पर "राजूराम पुत्र सुल्तानराम जाति जाट निवासी मन्नीवाली "दर्ज किया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेश की पालना हेतु पत्र जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 06.11.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/11/19

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2019.11.22 17:33:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: